

7566



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CM 186005

लेख-पत्र का संक्षिप्त विवरण

विक्रय-पत्र कृषि भूमि (अर्द्धनगरीय क्षेत्र)

(वी कोड नम्बर 0304)

1. भूमि का प्रकार : कृषि।
2. मौहल्ला/ग्राम : सिवाया जमाउल्लापुर।
3. सम्पत्ति का विवरण : जो कि सम्पूर्ण खसरा नम्बर 714 सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.1550 हैक्टेयर भूमि व सम्पूर्ण खसरा नम्बर 715 सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.2150 हैक्टेयर भूमि, मध्ये खाता संख्या 00357, कुल नम्बरान खसरा दो कुल क्षेत्रफल 0.3700 हैक्टेयर भूमि, स्थित ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर, तहसील सरधना जिला मेरठ।
4. मापन की इकाई : हैक्टैयर।
5. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 0.3700 हैक्टैयर।
6. सड़क की स्थिति : लागू नहीं।

वीर-३

धम-३

किरणार

धम-३



वीर-३

धम-३

:: 3 ::

5-बी स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत समायोजित करने के उपरान्त अंकन 100/- रूपये का स्टाम्प इस विक्रय विलेख पर अदा किया जा रहा है।

विक्रय पत्र ओर से श्री वीरेन्द्र व श्री धर्मेन्द्र पुत्रगण स्वर्गीय श्री सुभाष सिंह उर्फ सौभाग सिंह व श्री विजयपाल सिंह पुत्र रामचरन, निवासीगण ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर, परगना दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ :-----: प्रथम पक्ष (विक्रेता)।।

व

मैसर्स इण्डस वैली प्रमोटर्स लि० (ए कम्पनी इनकॉरपोरेटेड अण्डर दि इण्डियन कम्पनीज़ एक्ट 1956) मुख्य कार्यालय रेनबो चैम्बर्स, 2, पी०एल० शर्मा रोड, मेरठ द्वारा निदेशक श्री अजय गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री आर०के० गुप्ता, निवासी ए-2, शास्त्रीनगर, मेरठ :-----: द्वितीय पक्ष (क्रेता)।।

जो कि सम्पूर्ण खसरा नम्बर 714 सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.1550 हैक्टेयर भूमि व सम्पूर्ण खसरा नम्बर 715 सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.2150 हैक्टेयर भूमि, मध्ये खाता संख्या 00357, कुल नम्बरान खसरा दो कुल क्षेत्रफल 0.3700 हैक्टेयर भूमि, स्थित ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर, परगना दौराला, तहसील सरधना जिला मेरठ के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा संक्रमणीय भूमिधर हैं। प्रथम पक्ष का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित चला आ रहा है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्तानुसार विश्वास दिलाकर द्वितीय पक्ष को उपरोक्त भूमि को क्रय करने के लिए सहमत किया है और द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के इस प्रकार तथ्य वर्णित करने के उपरांत ही उपरोक्त भूमि को क्रय करने के लिए तैयार हुए हैं। उपरोक्त भूमि आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से उन्मुक्त तथा वैधानिक त्रुटियों तथा दोषों आदि से मुक्त तथा रहित है और प्रथम पक्ष के विश्वास में कोई वाद-विवाद किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है तथा

वीरेन्द्र

धर्मेन्द्र

इन्द्रचन्द्र

अजय गुप्ता



